IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा प्रस्तावित समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा की सिफारिषों को लागू करने में विद्यालयों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ एवं समाधान

**डॉ0 मोनिका सरोज**

**सुधीर कुमार रंजन**

*(असिस्टेन्ट प्रोफेसर– बी0एड्0 विभाग)*

*काषी नरेष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय*

*ज्ञानपुर, भदोही (उ0प्र0)*

*"शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक–आर्थिक रूप से गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है।"*

*(राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, पृष्ठ–5)*

**सारांश**

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समतामूलक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को, उसकी सामाजिक, आर्थिक, भाषाई या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना, समान अवसरों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना है। नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, तथा विद्यालय तक पहुँच और नामांकन की सार्वभौमिकता जैसी सिफारिशें की गई हैं, जो शिक्षा को वास्तव में समावेशी बनाती हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, बालिकाओं, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक, और तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था भी नीति का महत्वपूर्ण अंग हैं। हालाँकि, इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में विद्यालयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे–बुनियादी ढाँचे की कमी, शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या, तकनीकी असमानता और सामाजिक पूर्वाग्रह। नीति तभी सफल होगी जब विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रतिभागी– शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी और विद्यार्थी–संवेदनशील, सहयोगी और समावेशी दृष्टिकोण अपनाएँ। इस प्रकार, एनईपी–2020 शिक्षा को केवल सीखने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और समान अवसरों की स्थापना का साधन मानती है। यदि इसकी सिफारिशें पूरी निष्ठा से लागू की जाएँ, तो यह नीति भारत को एक ऐसे समाज की ओर ले जाएगी जहाँ हर बच्चा सम्मान, समानता और गरिमा के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके।*

***मुख्य षब्दः–*** *समावेशी, समतामूलक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन।*

***प्रस्तावनाः–***

*भारत में शिक्षा हमेशा से सामाजिक न्याय, समानता और मानव विकास का प्रमुख आधार मानी जाती रही है। संविधान में निहित अनुच्छेद 45 और 46 राज्य को यह दायित्व सौंपते हैं कि वह समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क और समान शिक्षा प्रदान करे। इस पर विभिन्न शिक्षा आयोगों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से समतामूलक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी किए गए हैं लेकिन फिर भी, समय के साथ अनेक कारणों से समाज के कुछ वर्ग– जैसे अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, बालिकाएँ, ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– शिक्षा की मुख्य धारा से पीछे रह गए। इन असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी–2020) को एक ऐतिहासिक पहल माना गया है। यह वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1968 में शिक्षा को सामाजिक रूपांतरण और परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया, वही 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विस्तार और पहुँच की समानता पर विशेष जोर देने के साथ आई। इसके विपरीत राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करती है बल्कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो समावेशी और समतामूलक हो– अर्थात जिसमें हर बच्चा, चाहे उसकी कोई भी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या शारीरिक पृष्ठभूमि हो, शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के मूलभूत सिद्धांतों में ही सबसे पहला सिद्धांत "हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना" शिक्षा में समावेशन की मजबूती की बात करता है। अवस्थी (2022) के अनुसार एक समतामूलक समाज के लिए समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा अपरिहार्य है। उच्चतम प्रदर्शन करने वाली शिक्षा प्रणाली भी वही होती है जो गुणवत्ता के साथ समता को जोड़ती है। इस नीति के पृष्ठ 4 पर एक लक्ष्य के रूप में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहाँ कोई किसी से पीछे न हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।" यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह लक्ष्य अपने आप उन लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाकर आगे बढ़ने पर जोर देता है जो भारतीय समाज में सबकी भागीदारी और सबके कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।*

*यह आलेख विद्यालयी शिक्षा में समतामूलक और समावेशी शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में किए गए सिफारिशों और विद्यालयों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों तथा संभावित समाधान का अध्ययन करता है।*

- ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए की गई सिफारिशेंः–***
  - ***ईसीसीई, मूलभूत साक्षरता/संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुँच/नामांकन/उपस्थिति आदि से संबंधित सिफारिशेंः–***

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा" (ईसीसीई) को सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों में समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। ईसीसीई की सार्वभौमिक पहुँच के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रो को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। ईसीसीई के अन्तर्गत बच्चा कक्षा–एक से पहले "बाल वाटिका" में जाएगा। "मिड–डे–मील" कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आश्रमशालाओं को स्थापित किया जाएगा।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्ण शर्त "बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान" को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने की बात करता है जिसके लिए शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा, शिक्षक–छात्र अनुपात 30 : 1 और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के अधिकता वाले क्षेत्र के विद्यालयों में यह अनुपात 25 : 1 से कम होगा, प्रत्येक बच्चे का सीखना ट्रैक किया जाएगा, कक्षा–1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह का प्ले आधारित "स्कूल तैयारी मॉडल" बनाया जाएगा, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। पियर ट्यूटरिंग और वॉलिंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित किए जाएंगे। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिषत सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षक, बच्चों की अधिगम ट्रैकिंग, कक्षा की गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर देते हुए स्कूली शिक्षा के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।*

- ***विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) घोषित किये जाने से सम्बन्धित सिफारिश :–***

*वर्तमान में भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित भारी संख्या में है साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है। महत्वाकांक्षी जिले वैसे क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले लोग पाए जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 द्वारा यह सिफारिश की गई कि इन क्षेत्रों को समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए "विशेष शिक्षा क्षेत्र" घोषित किया जाए जहाँ सरकार द्वारा, संबंधित सभी योजनाओं और नीतियों को लागू करने का विशेष प्रयास किया जाए।*

- ***महिलाओं के विकास से सम्बन्धित सिफारिशें :–***

*भारत एक संपन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहाँ महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम पाते हैं कि अल्पप्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में महिलाओं का काफी बड़ा अनुपात है। दुर्भाग्यवश सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचितों के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूह की महिलाओं को करना पड़ता है।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 समाज में महिलाओं की अतुलनीय भूमिका और वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार–विचार को आकार देने में उनके योगदान को विशिष्ट और महत्वपूर्ण मानते हुए इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की बात करती है। एनईपी–2020 इस बात की सिफारिश करती है कि एसईडीजी के उत्थान के लिए नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूह की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। यह बालिकाओं के लिए एक "जेंडर समावेशी निधि" का गठन करने का सुझाव देती है। इस निधि का प्रयोग बालिकाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में किया जाएगा। साथ ही यह सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावासों का भी निर्माण करने की बात करती है। इन छात्रावासों में विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को और अधिक मजबूत बनाए जाने के साथ ही साथ सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह की बालिकाओं की इन विद्यालयों में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किए जाने की सिफारिश करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने जुलाई 2004 में की थी। इसे शैक्षिक रूप से पिछले ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में एकीकृत किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभिक स्तर पर आवासीय सुविधाओं के साथ आवासीय विद्यालय की स्थापना करके समाज के वंचित समूह की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव और सुलभ हो।*

- ***ट्रांसजेंडर छात्रों हेतु 'जेंडर समावेशी निधि' का गठन करने से सम्बन्धित सिफारिश :–***

*ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है जो उन्हें उनके जन्म के समय दी गई होती है। अप्रैल 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग घोषित किया। न्यायमूर्ति के0एस0 राधाकृष्णन ने अपने फैसले में कहा की "शायद ही कभी हमारे समाज को उस आघात, पीड़ा और दर्द का एहसास होता है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य गुजरते हैं।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु "जेंडर समावेशी निधि" का गठन करने का सुझाव देती है। यह निधि ट्रांसजेंडर बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। इस निधि के द्वारा भारत के राज्य, समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने व उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम होगें। साथ ही स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि सुविधाएं इस वर्ग के बच्चों तक पहुँचने में 'जेंडर समावेशी निधि' सहायक होगी।*

- ***जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय व निःशुल्क छात्रावासों से संबंधित सिफारिशें:–***

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई जिन्हें "जवाहर नवोदय विद्यालय" का नाम दिया गया। इन विद्यालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में यथासंभव प्रयास करना है। यह महसूस किया गया है की विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की फीस देने की क्षमता को ध्यान में न रखते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सके। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की सिफारिश करती है।*

*भारत सरकार द्वारा दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विद्यालयों की योजना का अनुमोदन नवंबर 1962 में किया गया। 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के ग्ग्) के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की भी सिफारिश करता है। ये विद्यालय आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में खोले जाएंगे, जिसका उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) समूहों के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही साथ कम से कम एक वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सम्मानित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में प्री–स्कूल वर्ग को भी जोड़ा जाएगा।*

*उच्च प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात् ज्यादातर छात्र माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अपना नामांकन नहीं कर पाते हैं। नामांकन न करा पाने के मुख्य कारणों में घर से विद्यालय की दूरी, साथ ही माता–पिता/अभिभावक की वित्तीय अक्षमता है। राष्ट्रीय शिक्षा*

*नीति–2020 छात्रों की इस समस्या पर ध्यान देते हुए उनके लिए "निःशुल्क छात्रावासों के निर्माण" करने की सिफारिश करती है। एनईपी– 2020 कहती है की दूरी, वित्तीय अक्षमता तथा अन्य संबंधित सामाजिक कारणों से छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर से वंचित न रहना पड़े। निःशुल्क छात्रावासों के निर्माण हो जाने से छात्र माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अपना नामांकन निःसंकोच करा सकेंगे साथ ही अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकेंगे।*

- ***दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सिफारिशें:–***

*दिव्यांगजन वे लोग होते हैं जिन्हें दृष्टि, श्रवण, वाक् अस्थि या मानसिक रूप से कोई समस्या हो। इन बच्चों को ऐसे काम करने में परेशानी होती है जो अन्य बच्चे आसानी से कर लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम– 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। वैश्विक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का समूह सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक है जो उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रहा है (लिमये, 2016)। राव (2016) के अनुसार इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने का शिक्षा का अधिकार कानून 2005 से लागू होने के बाद भी हम 20 प्रतिषत विकलांग बच्चों/व्यक्तियों तक भी नहीं पहुँच सके हैं।*

*दिव्यांग बच्चों से संबंधित की जाने वाली सिफारिशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम– 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत होते हुए विद्यालयी शिक्षा के संबंध में आरपीडब्ल्यूडी–एक्ट द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की पहुँच और उनकी पूर्ण भागीदारी की भी बात करती है। साथ ही यह सिफारिश करती हैं कि दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 यह भी सिफारिश करती हैं कि दिव्यांग बच्चों के एकीकरण हेतु विद्यालयों को वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी साथ ही गंभीर/एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गांव/ब्लॉक स्तर पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा।*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भौतिक पहुँच, बाधा–मुक्त संरचनाओ (भवन इत्यादि) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय कक्षा–कक्ष में इनकी पूर्ण सहभागिता व समावेशन सुनिश्चित हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी। इन बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और इसका उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए) उच्चतर–गुणवत्ता वाली मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही इन बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।*

*एनईपी–2020 गंभीर/गहन दिव्यंगता वाले बच्चों के लिए एक विकल्प के रूप में "गृह–आधारित शिक्षा" की बात करता है । इसको सामान्य शिक्षा में प्रणाली के समतुल्य माना जाएगा साथ ही इसकी दक्षता व प्रभावशीला की जांच हेतु समय–समय पर ऑडिट कराया जाएगा।*

- ***सीखने से संबंधित अक्षमता वाले बच्चों से सम्बन्धित सिफारिश :–***

*अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होने के कारण उन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है। इन पर विशेष ध्यान देते हुए एनईपी–2020 इन बच्चों की पहचान हेतु और इनको अधिकाधिक लाभ पहुँचाने हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान*

*किए जाने, उपयुक्त तकनीकी मदद दिए जाने, पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाए जाने, साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन की सिफारिश करती है।*

- ***प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों से संबंधित सिफारिशः–***

*एनईपी–2020 अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल देती है साथ ही सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित छात्रों में प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, फीस माफ करना तथा छात्रवृत्ति सहायता माध्यमिक स्तर पर प्रदान की सिफारिश करती है।*

## ➢ *विद्यालयों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ एवं सुझावः–*

*एनईपी–2020 की दृष्टि में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का साधन है। नीति का स्पष्ट उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर मिले और किसी को भी उसकी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग या विकलांगता के कारण बहिष्कृत न किया जाए। परंतु जब इस नीति की भावनाओं को विद्यालय स्तर पर व्यवहार में उतारने का प्रयास किया जाता है, तब अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ और व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं। विद्यालय वह आधारभूत इकाई हैं जहाँ नीति का वास्तविक कार्यान्वयन होता है, इसलिए इन संस्थानों के समक्ष आने वाली बाधाएँ इस नीति के सफल क्रियान्वयन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाती हैं।*

- *विद्यालयों के समक्ष सबसे पहली और प्रमुख चुनौती संसाधनों की कमी है। देश के अधिकांश सरकारी विद्यालय आज भी आवश्यक भौतिक सुविधाओं से वंचित हैं। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक रैम्प, विशेष शौचालय, ब्रेल लिपि की पुस्तकें, व्हीलचेयर या श्रवण यंत्र जैसी सुविधाएँ अधिकांश विद्यालयों में नहीं पाई जातीं। कई बार तो विद्यालय भवन ही जर्जर होते हैं और कक्षाएँ पर्याप्त नहीं होतीं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ब्व्) के उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और डिजिटल शिक्षा सामग्री का भी अभाव रहता है। इन सीमाओं के कारण न केवल विकलांग बच्चों को कठिनाई होती है बल्कि शिक्षकों को भी आधुनिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने में बाधा आती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक विद्यालय मे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षक को केवल मौखिक रूप से पाठ समझाना पड़ता था। इससे विद्यार्थियों की सीखने की गति अत्यंत धीमी हो गई और वे अपने साथियों से पीछे रह गए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नीतियों की सफलता तभी संभव है जब विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। इस दिशा में सरकार को प्रत्येक विद्यालय का* Inclusive Infrastructure Audit *कराना चाहिए और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत* Inclusive Education Fund *की स्थापना करनी चाहिए।*
- *दूसरी बड़ी चुनौती शिक्षकों की तैयारी और प्रशिक्षण से संबंधित है। शिक्षक किसी भी शिक्षा नीति की आत्मा होते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षक विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करें और उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियाँ अपनाएँ। परंतु अधिकांश शिक्षक अभी तक इस दिशा में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। अनेक शिक्षकों को विकलांगता, भाषिक विविधता या सामाजिक वंचन जैसे मुद्दों की समझ नहीं होती। परिणामस्वरूप, वे कक्षा में समान भागीदारी का वातावरण तैयार नहीं कर पाते। उदाहरणस्वरूप, कई शिक्षक यह मानते हैं कि विकलांग बच्चे केवल विशेष विद्यालयों में ही पढ़ सकते हैं। यह सोच समावेशिता के मूल सिद्धांत के विपरीत है। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे बी0एड़0 और डी0एल0एड़0 में "समावेशी शिक्षा" विषय को अनिवार्य किया जाए। साथ ही, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (*DIET*) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद (*SCERT*) द्वारा शिक्षकों के लिए नियमित* Inclusive Pedagogy Workshops *आयोजित की जाएँ ताकि वे विविध वर्गों के विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।*
- *विद्यालयों के सामने तीसरी चुनौती सामाजिक और आर्थिक असमानता की है। भारत जैसे विशाल देश में गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय विषमता शिक्षा तक*

पहुँच में भारी अंतर पैदा करती है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के बच्चे अक्सर सामाजिक उपेक्षा या आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान और बिहार के कई गाँवों में दलित और मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ आज भी माध्यमिक शिक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि या तो विद्यालय दूर हैं, या परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या समाज की रूढ़ियाँ उन्हें आगे पढ़ने नहीं देतीं। इस समस्या का समाधान केवल विद्यालय स्तर पर नहीं, बल्कि सामुदायिक और प्रशासनिक स्तर पर भी होना चाहिए। सरकार को Mid-Day Meal] Free Uniform] Scholarship और Transport Facility जैसी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय समुदाय और अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन समितियों (SMCs) में शामिल कर शिक्षा को सामूहिक उत्तरदायित्व बनाया जाना चाहिए।

- एक और बड़ी चुनौती मानसिकता और दृष्टिकोण से जुड़ी है। समावेशी शिक्षा का सबसे कठिन पहलू है – समाज की सोच बदलना। कई बार शिक्षक, विद्यार्थी या अभिभावक विशेष आवश्यकता वाले या वंचित वर्गों के बच्चों को "कम सक्षम" मानते हैं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है बल्कि विद्यालय का वातावरण भी भेदभावपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ विद्यालयों में विकलांग बच्चों को पीछे की पंक्ति में बैठाया जाता है या खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। इस तरह की प्रवृत्तियाँ बच्चों में हीनभावना उत्पन्न करती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्यालयों में नियमित रूप से Value-based Education और Sensitivity Workshops आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में "विविधता में एकता" के भाव को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। विद्यालयों में "समावेशी सप्ताह" मनाकर सभी को यह समझाया जा सकता है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति ळें
- भाषाई विविधता भी समावेशी शिक्षा के सामने एक वास्तविक चुनौती के रूप में उभरती है। NEP&2020 में यह अनुशंसा की गई है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए। परंतु भारत में भाषाओं की अत्यधिक विविधता के कारण यह कार्यान्वयन स्तर पर कठिन साबित होता है। कई विद्यालयों में एक ही कक्षा में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले विद्यार्थी होते हैं जबकि शिक्षक केवल एक भाषा में दक्ष होते हैं। झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में हिंदी, संथाली और उर्दू भाषी छात्र एक ही कक्षा में होते हैं, जिससे शिक्षण–सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस समस्या का समाधान बहुभाषिक शिक्षण सामग्री तैयार करने और शिक्षकों को Multilingual Pedagogy का प्रशिक्षण देने से हो सकता है।
- तकनीकी असमानता या क्पहपजंस क्पअपकम भी एक गंभीर समस्या है। कोविड–19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश में डिजिटल पहुँच में भारी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चे स्मार्टफोन, टैबलेट या इंटरनेट कनेक्शन न होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गए। यह असमानता केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि गरीब और सम्पन्न परिवारों के बीच भी स्पष्ट दिखाई दी। इसलिए अब यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में ICT Lab, Smart Classroom और Digital Library जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। साथ ही, सरकार "One Student, One Device" जैसी योजना लाकर सभी विद्यार्थियों को डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करे।
- एक अन्य समस्या वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की कठोरता है। अधिकांश विद्यालय अभी भी पारंपरिक परीक्षा प्रणाली का पालन करते हैं, जो अंकों और रटने पर आधारित होती है। ऐसी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं, रचनात्मकता और भावनात्मक विकास को नहीं पहचान पाती। समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम न होकर सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। NEP&2020 ने इस दिशा में Formative और Holistic Assessment की अनुशंसा की है, जिसमें विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, टीमवर्क और नैतिक मूल्यों को भी शामिल किया गया है।

- *विद्यालय और समुदाय के बीच समन्वय की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार विद्यालय अपने आसपास के समाज से कटे रहते हैं। अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं लेते और समुदाय शिक्षा को केवल सरकारी दायित्व मान लेता है। इस दृष्टि से विद्यालयों में "समुदाय आधारित शिक्षा कार्यक्रम" प्रारंभ किए जा सकते हैं, जिनमें पंचायत, स्वयंसेवी संगठन (NGOs) और अभिभावकों को सम्मिलित किया जाए। शिक्षा को सामूहिक आंदोलन बनाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।*
- *अंततः नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी भी एक प्रमुख समस्या है। NEP&2020 जैसे दस्तावेज आदर्श स्थिति का चित्रण करते हैं, परंतु जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन में बजट, निगरानी और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखाई देती है। नीतियों के परिणामों का आकलन करने और सुधार लाने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में Inclusive Education Monitoring Cell की स्थापना की जानी चाहिए जो विद्यालयों के समावेशी प्रयासों का मूल्यांकन करे और आवश्यक मार्गदर्शन दे।*

*इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए नीति–निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों, और समुदाय को मिलकर कार्य करना होगा। समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक लक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय समानता का आंदोलन है। NEP&2020 की वास्तविक सफलता तभी संभव होगी जब विद्यालयों में समावेशी दृष्टिकोण, संवेदनशील वातावरण और पर्याप्त संसाधन एक साथ उपलब्ध हों। जैसा कि ओमवेट (Omvedt, 2006) कहती हैं – "दलित महिलाएँ केवल पीड़ित नहीं, बल्कि नए सामाजिक परिवर्तन की मशालवाहक हैं।" इसी प्रकार समावेशी शिक्षा भी नए भारत के सामाजिक परिवर्तन की मशाल है। यदि हम हर बच्चे के भीतर सीखने की क्षमता को पहचानें और उसे सम्मानपूर्वक अवसर दें, तो शिक्षा वास्तव में समानता और स्वतंत्रता का माध्यम बन सकती है। NEP&2020 का अंतिम उद्देश्य भी यही है – एक ऐसा भारत जहाँ शिक्षा सबके लिए समान, सुलभ और न्यायसंगत हो।*

## *निष्कर्ष :–*

*राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है, जो शिक्षा को समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के सिद्धांतों पर पुनर्गठित करने का प्रयास करती है। यह नीति इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानव गरिमा की स्थापना का सशक्त उपकरण है। इस नीति में ट्रांसजेंडर समुदाय का वंचित वर्ग में सम्मिलित किया जाना, जेंडर समावेषी निधि का गठन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित भारी संख्या में है, विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित कर विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया जाना भी सराहनीय है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व निःशुल्क छात्रावासों से संबंधित सिफारिश एसईडीजी समूहों को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगी। एनईपी–2020 द्वारा गंभीर/गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा का विकल्प भी इन बच्चों के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं। दिव्यांग एवं विशिष्ट अक्षमतायुक्त बच्चों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित– परख जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना एवं इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण, सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा को वास्तव में समावेशी और समतामूलक बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।*

*फिर भी, इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में विद्यालयों के समक्ष अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ उपस्थित हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों का अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता, और सामाजिक–आर्थिक भेदभाव आज भी समावेशी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, समाज में अब भी जातीय, लैंगिक और भाषाई पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जिनसे विद्यालयों के वातावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। एक अन्य चुनौती विद्यालयी प्रणाली की संवेदनशीलता और जागरूकता की कमी है। जब तक शिक्षक,*

*प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी और छात्र स्वयं विविधता और समानता के मूल्यों को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक नीतिगत परिवर्तन व्यवहारिक रूप में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए एनईपी–2020 का वास्तविक उद्देश्य तभी साकार होगा जब शिक्षा प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर संवेदना, सहानुभूति और समावेशी दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा।*

*अंततः, समतामूलक और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब विद्यालय ज्ञान के मंदिर के साथ–साथ संवेदना और समानता के केंद्र के रूप में विकसित होंगे – जहाँ हर बच्चा न केवल सीखने का अधिकार रखता हो, बल्कि सीखने की गरिमा, सम्मान और अवसर भी उसके साथ हों।*

## सन्दर्भ सूची


- *अवस्थी, के. (2022). विद्यालयी शिक्षा में समता एवं समावेशन : राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के आलोक में, परिपेक्ष्य, वर्ष 29, अंक 2 और 3, अगस्त एवं दिसंबर 2022.*
- *डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेषन (1968). नेषनल पॉलिसी ऑन एजुकेषन–1968. नई दिल्लीः भारत सरकार।*
- *डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेषन (1986). नेषनल पॉलिसी ऑन एजुकेषन–1986. नई दिल्लीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।*
- *नेषलन एजुकेषन पॉलिसी (2020). नई दिल्लीः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।*
- *ओमवेट, गेल (2006). दलित विजन्स– एंटी–कास्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडियन आइडेंटिटी. नई दिल्ली– ओरिएंट ब्लैकस्वान।*